(भारत का राजपत्र , असाधारण के खण्ड 4, भाग - III में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 18 **नई दिल्ली 14 फरवरी 2008**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, दीर्घावधि / अल्पावधि आधार पर, न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) द्वारा पट्टे पर दी गयी भूमि के पट्टा किराये की वैधता को विस्तार प्रदान करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला सं. टीएएमपी /33/2003- एनएमपीटी

न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) आवेदक

आदेश
(जनवरी 2008 के 28 वें दिन पारित)

न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) द्वारा दीर्घावधि / अल्पावधि आधार पर, आबंटित भूमि के पट्टा किराये को पिछली बार इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2005 को संशोधित किया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किराये दिनांक 20 फरवरी, 2002 के पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किये जाने योग्य थे तथा पाँच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 19 फरवरी 2007 तक वैध थे।

2. इस प्राधिकरण ने, दिनांक 20 फरवरी 2007 से प्रभावी छ: महीनों की अवधि के लिए पट्टे किराये की वैधता का विस्तार करते हुए दिनांक 28 मार्च 2007 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश राजपत्र अधिसूचना सं. 68 द्वारा दिनांक 2 अप्रैल 2007 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

3. दीर्घावधि / अल्पावधि आधार पर आबंटित पत्तन भूमि के पट्टा किराये में संशोधन हेतु, एनएमपीटी ने एक प्रस्ताव दाखिल किया है। एनएमपीटी द्वारा दाखिल किये गये प्रस्ताव को एक प्रशुल्क मामले के रूप में पंजीकृत किया गया है और सामान्य परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

4. इस बीच में, चूँकि एनएमपीटी को प्रदान किये गये वर्तमान पट्टा किराये के विस्तार की वैधता दिनांक 19 अगस्त 2007 को समाप्त हो गयी है, एनएमपीटी ने प्राधिकरण द्वारा अंतिम दरों को अनुमोदन प्रदान किए जाने तक, अंनतिम रूप से वर्तमान दरमान की लेवी के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

5. एनएमपीटी का पट्टा किराये संशोधन का प्रस्ताव आंतरिक जांचपड़ताल के तहत है और मामले को अंतिम रूप देने के लिए और कुछ अधिक समय लगेगा।

6. इसके परिणामस्वरुप और ऊपर दिये गये कारणों से, यह प्राधिकरण वर्तमान पट्टा किराये की वैधता को उसकी समाप्ति तिथि से, 30 जून 2008 तक अथवा एनएमपीटी द्वारा दाखिल किये गये प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा पारित किये जानेवाले आदेश के कार्यान्वयन की तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तार प्रदान करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष